TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRA ORDINARY PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF REVENUE CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES ******

New Delhi, the 13th December, 1997.

CORRIGENDA

- S.O. (E) In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), Central Board of Direct Taxes No. S.O. 466 (E), dated the 20th June, 1997, published in the Gazette of India Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 27th June, 1997, -
- (a) at page 4, in lines 21 and 22, for 'after the words, brackets, letter and figure "sub-section (4B) of section 139", the words and figure "or proviso to section 139" shall be inserted; read 'after the words, brackets and figure "sub-section (1)", the words, brackets and figure "or proviso to sub-section (1)" shall be inserted;
- (b) at page 4, in line 24, for "under the proviso to section 139", read "under proviso to sub-section (1) of section 139"; and
- (c) at page 6, after line 32, add the following, namely:-

"Note: - The principal rules were published vide notification number S.O. 969 (E), dated 26-3-1962 and were last amended vide notification number S.O. 371 (E), dated 7-5-1997.".

S. MOHAPATRA

Deputy Secretary to the Government of India

F.No. 142/48/97-TPL Notification No. 10474 भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केन्द्रीय पृत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर, 97

शृहिपत्र

कार्याः १३६ भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-<u>ा</u>, खण्ड-3, उपयण्ड हैं। दिनांक २७ जून, १९९७ में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय रिहाज्य विभाग है, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की दिनांक, २० जून, १९९७ की अधि-देवना सेंठ का अा 466 अहं में,-

कि पूष्ठ 1, पर, 12 और 13 वीं पंक्तियों में "धारा 139 की उपधारा [4य] ", शब्दों, को ठठकों, अक्षर और अंक के पश्चात "अथवा धारा 139 का पर-तिक शब्दों और अंक को जोड़ा जाएगा;! शब्दों, को ठठकों और अंक के पश्चात पद "उप धारा १।०", शब्दों, को ठठकों और अंक "अथवा उपधारा १।० का प्रनृत्क" को जोड़ा जाएगा";

विश्वित पुष्ठ 1 पर पंक्ति 15 में, "धारा 139 के परन्तुक के अंतर्गत" के स्थान पर "धारा 139 की उपधारा राष्ट्र के परन्तुक के अन्तर्गत " को पर्दे; और

रिप्यणीं:- मूल नियम दिनांक 26.3.1962 की अधिसूचना संख्या काआ.

969 रिजार के तहत प्रकाशित किये गए थे और उनमें दिनांक 7.5.1997 की अधिसूचना संख्या का शा . 371 रिजार के तहत पिछली बार संशोधन ्रीक्या गया था ।"

> ४२ मधापात्र १एस० महापात्रश उप सचिव, भारत सरकार

फार्स 142/48/97-टी पी एल